इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 7 अंक सं. : 9 अप्रैल, 2015

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति से सम्बन्धित वक्तव्य ---------------------------- --------------2
मुख्य घटनाएं --2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां-- 3
बैंकिंग जगत की घटनाएं --5
विनियामकों के कथन /बीमा ------ ---7
विदेशी मुद्रा --- 10
नयी नियुक्तियां -- ---11
उत्पाद एवं गठजोड -- 13
बासेल -III - पूंजी विनियमन --13
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं / शब्दावली ---------------------- ------14
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---15
संस्थान समाचार---15

बाज़ार की खबरें---17

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मौद्रिक नीति से सम्बन्धित वक्तव्य : 4 मार्च, 2015

चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर तत्काल प्रभाव से 7.75% से 25 आधार अंक घटाकर 7.5% कर दी गई।
अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 4.0% पर अपरिवर्तित है।
एक-दिवसीय पुनर्खरीद के तहत चलनिधि समायोजन सुविधा की पुनर्खरीद दर पर बैंक-वार निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 0.25% पर चलनिधि तथा नीलामियों के माध्यम से 7 दिवसीय और 14 दिवसीय मीयादी पुनर्खरीद दरों पर बैंकिंग प्रणाली की मांग एवं सावधि देयताओं के 0.75% तक की चलनिधि प्रदान करना जारी रहेगा।
चलनिधि की स्थिति को सहज बनाने हेतु दैनिक रूप से परिवर्तनीय दर वाली पुनर्खरीद एवं प्रति-पुनर्खरीद सुविधाएं जारी रखी जाएंगी।
चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन प्रति-पुनर्खरीद दर 6.5% पर समायोजित कर दी गई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर तत्काल प्रभाव से 8.5% पर नियत की गई है।

मुख्य घटनाएं

मुद्रा बैंक की शुरुआत

भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को मुद्रा (सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेन्सी) बैंक की शुरुआत की। वर्ष 2015-16 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने मुद्रा बैंक के गठन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य 5.77 करोड़ छोटी व्यावसायिक इकाइयों की अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर संस्थागत ऋण प्राप्त करने में सहायता करना है। प्रारंभ में उक्त

बैंक एक अलग सहायक कम्पनी के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) से निर्मित किया जाएगा तथा एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

सभी 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रूपे कार्ड और नाच प्रणाली से सम्बद्ध

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने देश के सभी 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रूपे कार्ड और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (NACH) सेवा के साथ अपनी केन्द्रीय भुगतान प्रणाली नेटवर्क से समर्थित किया है। इस संलग्नता के परिणामस्वरूप सभी 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 19,000 शाखाओं के 120 मिलियन ग्राहक अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के राष्ट्रीय नेटवर्क के अंग बन गए हैं।

बैंकों, बीमाकर्ताओं के सहयोग से सामा□क सुरक्षा की शुरुआत की जाएगी

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉ. हसमुख अढिया ने कहा है कि दुर्घटनात्मक मृत्यु जोखिम बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), एक निर्धारित पेंशन हेतु अटल पेंशन योजना, और जीवन बीमा सुरक्षा हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) को बैंकों और बीमा कम्पनियों के पूरे समर्थन के साथ प्रधान मंत्री जन-धन योजना की भांति मिशन वाली विधि से कार्यान्वित किया जाएगा। ये नयी योजनाएं प्रारंभ में मौजूदा बैंक खाता धारकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी। उनके प्रीमियम पेंशन की रकमें या तो उनके खातों में जमा की जा सकती हैं या स्वयमेव नामे की जा सकती हैं, बशर्ते कि खातों में अपेक्षित रकम मौजूद हो। इन नई योजनाओं की समय-सीमाएं और लक्ष्य अभी निर्धारित किए जाने हैं तथा इनकी प्रगति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाएगी।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए सार्वजनिक जमा नियम परिवर्तित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) के लिए मानदंडों को संशोधित कर दिया है। किसी गैर-श्रेणी-निर्धारित आस्ति वित्त कम्पनी के मामले में उसे 31 मार्च, 2016 से या तो न्यूनतम निवेश श्रेणी या अन्य विनिर्दिष्ट साख श्रेणी निर्धारण प्राप्त करना होगा। उन आस्ति वित्त कम्पनियों कों जो 31 मार्च, 2016 तक न्यूनतम निवेश श्रेणी प्राप्त नहीं कर लेतीं, उसके बाद मौजूदा जमाराशियों को नवीकृत नहीं करना अथवा नयी जमाराशियां नहीं स्वीकार करना चाहिए। इसके बीच वाली अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2016 तक गैर-श्रेणी-निर्धारित आस्ति वित्त कम्पनियों अथवा उप-निवेश श्रेणी की रेटिंग वाली कम्पनियों को जब तक वे निवेश श्रेणी वाली रेटिंग न प्राप्त कर लें, उनकी परिपक्वता पर केवल मौजूदा जमाराशियों को ही नवीकृत करना चाहिए तथा नयी जमाराशियां नहीं स्वीकार करनी चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा-निर्धारित न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां (NOF) रखने वाली और समस्त विवेकसंमत मानदंडों का पालन करने वाली कोई आस्ति वित्त कम्पनी या ऋण कम्पनी अथवा

निवेश कम्पनी इस प्रकार की जमा स्वीकार किए जाने या उसे नवीकृत किए जाने की तिथि को उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के डेढ़ गुने से अनधिक उक्त कम्पनी की बहियों में बकाया पड़ी रकमों के साथ सार्वजनिक जमा स्वीकार या नवीकृत कर सकती है। शर्त यह है कि उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के डेढ़ गुने की सीमा से अधिक की सार्वजनिक जमा रखने वाली कोई आस्ति वित्त कम्पनी

जब तक वह संशोधित सीमा तक नहीं पहुंच जाती जमा को नवीकृत या नयी जमा स्वीकार नहीं करेगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने संपर्क-रहित कार्डों के नियम सरल बनाए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिशानिर्देशों के प्रारूप में नियर फील्ड संचार (NFC) प्रौद्योगिकी पर आधारित संपर्क-रहित कर्डों का उपयोग करते हुए 2,000 रुपये तक के उत्पाद खरीदने की अधिप्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाना प्रस्तावित किया है। नियर फील्ड संचार (NFC) कार्ड प्रयोक्ताओं को व्यापारी के पास रखे हुए टर्मिनल पर कार्ड को केवल लहरा या छुआ कर भुगतान करने में समर्थ बनाता है। क्रेडिट और डेबिट कार्डों के विपरीत स्वाइप करने की कोई जरूरत नहीं होती। बैंक उन संपर्क-रहित चिप कार्डों के मामले में जो यूरोपे-मास्टरकार्ड-वीसा मानकों का पालन करते हैं प्रति लेनदेन 2,000 रुपये के अधिकतम मूल्य वाले लेनदेनों के मामले में अधिप्रमाणन वाले अतिरिक्त कारक (AFA) सम्बन्धी आवश्यकता को शिथिल कर सकते हैं। हालांकि, बैंक प्रति लेनदेन सीमाएं निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र हैं। 2,000 रुपये से अधिक वाले लेनदेनों के मामले में वैयक्तिक पहचान संख्या अनिवार्य होगी। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे ग्राहक द्वारा यथा-सहमत उपयुक्त चलनवेग जांच (दैनिक, मासिक आदि) की व्यवस्था लागू करें। यह छूट लेनदेन का मूल्य चाहे जितना भी क्यों न हो, एटीएम से किए जाने वाले लेनदेनों तथा कार्ड की गैर-मौजूदगी वाले लेनदेनों (CNP) पर नहीं लागू होगी।

पुनर्निर्माण कम्पनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री से सम्बन्धित दिशानिर्देशों में आशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले बैंकों को 26 फरवरी, 2014 को या उसके बाद प्रतिभूतिकरण कम्पनी / पुनर्निर्माण कम्पनी को बेची गई अनर्जक आस्तियों पर किए गए प्रावधान को बिक्री मूल्य के निवल बही-मूल्य (NBV) से अधिक होने पर जिस वर्ष में ये रकमें प्राप्त की गई थीं उस वर्ष के उनके लाभ-हानि लेखे में प्रत्यावर्तित (reverse) करने की अनुमति प्रदान की थी। अब बैक अनर्जक आस्तियों की बिक्री पर (26 फरवरी, 2014 से पहले प्रतिभूतिकरण कम्पनियों / पुनर्निर्माण कम्पनियों को बेची गई) किए गए इस अतिरिक्त प्रावधान को (बिक्री के निवल बही-मूल्य से अधिक मूल्य वाली होने पर) उनके लाभ एवं हानि लेखे में प्रत्यावर्तित कर सकते हैं। यह प्रत्यावर्तन केवल तभी किया जा सकता है जब (प्रारंभिक प्रतिफल और / अथवा प्रतिभूति रसीदों/ पारण (Pass Through) प्रमाणपत्रों के मोचन के रूप में) प्राप्त नकदी प्रतिभूतिकरण कम्पनियों / पुनर्निर्माण कम्पनियों को बेची गई अनर्जक आस्तियों के निवल बही-मूल्य से अधिक हो। इसके अलावा, प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा उस स्तर तक सीमित होगी, जिस तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों के निवल बही-मूल्य से अधिक हो। अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा को बैंकों के वित्तीय विवरणों में "लेखों से सम्बन्धित टिप्पणियां" के तहत प्रकटित किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वत्वाधिकारी फर्मों के मामले में अपने ग्राहक को जानिए मानदंड शिथिल किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वत्वाधिकारी फर्मों के लिए उन मामलों में जहां बैंक इस बात के प्रति संतुष्ट हों कि कार्यकलाप के प्रमाण के रूप में दो दस्तावेज़ यथा- पंजीकरण प्रमाणपत्र और उपयोगिता बिल प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है, अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों को शिथिल कर दिया है। ऐसे समयों पर यह बैंक के विवेक पर है कि वे उनमें से केवल एक ही दस्तावेज़ स्वीकार कर लें। हालांकि बैंकों को इस प्रकार की फर्म के अस्तित्व को सिद्ध करने हेतु संपर्क स्थल का सत्यापन करना होगा, अपेक्षित सूचना एकत्रित करना होगा और इस बात को पुष्ट, स्पष्ट एवं स्वयं को उसके प्रति संतुष्ट करना होगा कि स्वत्वाधिकारी प्रतिष्ठान के पते से व्यावसायिक गतिविधि को सत्यापित कर लिया गया था।

विकलांगों के लिए प्राथमिकता प्राप्त उधार ऋण कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत किए जाएंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विकलांग व्यक्तियों (PwD) को प्रदत्त प्राथमिकता प्राप्त उधार ऋणों को कमजोर वर्ग वाली श्रेणी के तहत वर्गीकृत किए जाने का निर्णय लिया है। यह दिशानिर्देश 13 मार्च, 2015 से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

बैंकों में प्रभावी सूचना प्रबन्धन प्रथाएं

डाटा मानकीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक की समिति ने बैंकों में प्रभावी सूचना प्रबन्धन प्रथाओं और सुदृढ़ प्रबन्धन सूचना प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। अतीत में भारतीय रिज़र्व बैंक ने डाटा को ऐसी सूचना जो प्रभावी निर्णयन के उद्देश्यों हेतु उपयोगी होती है, में रूपांतरित करने में समर्थ बनाने हेतु डाटा की गुणवत्ता और सामयिकता, दोनों ही के महत्व पर बल दिया था। उसका कहना है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकसमान डाटा मानक अत्यधिक महत्व रखते हैं। उक्त समिति ने विचारार्थ विषय और सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डाटा मानकीकरण के विविध आयामों की जांच की है और अपनी रिपोर्ट में विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपेक्षाकृत कठोर बैंक एक्सपोजर मानदंडों के पक्ष में

बैंकिंग पर्यवेक्षण सम्बन्धी बासेल समिति के मानकों के अनुसार किसी बैंक के किसी एकल प्रतिपक्ष के प्रति अथवा सम्बन्धित प्रतिपक्षियों के एक समूह के प्रति समस्त एक्सपोजर मूल्यों का योग हमेशा बैंक के उपलब्ध पात्र पूंजी आधार अर्थात् बासेल III में निर्धारित मानदंड को पूरा करने वाली टियर 1 पूंजी की

की प्रभावी रकम के 25% से अधिक हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वर्तमान में, एक्सपोजर की उच्चतम सीमाएं किसी एकल उधारकर्ता के मामले में पूंजीगत निधियों के 15% और किसी उधारकर्ता समूह के मामले में पूंजीगत निधियों के 15% के एक्सपोजर मानदंड से 5% अधिक (अर्थात् 20% तक) होने की अनुमति है, बशर्ते यह अतिरिक्त ऋण एक्सपोजर किसी मूलभूत संरचना परियोजना को ऋण विस्तार

के कारण हो। इसके अलावा, बैंकों के निदेशक मंडल को 5% का एक अतिरिक्तअपमार्ग (leeway) भी उपलब्ध कराया गया है। अतएव प्रभावी तौर पर किसी बैंक का किसी एकल कम्पनी के प्रति कुल एक्सपोजर उसकी निवल हैसियत के 25% तक हो सकता है। इसीप्रकार, समूह एक्सपोजर को किसी बैंक की निवल हैसियत के 55% पर सीमित कर दिया गया है। प्रस्तावित बड़े एक्सपोजर ढांचे के तहत बैंकों को एकल नाम वाले प्रतिपक्षियों के प्रति एक्सपोजर स्वीकार करने हेतु अतिरिक्त शीर्षांतर (head room) प्राप्त होगा। हालांकि, उधारकर्ताओं के समूहों के प्रति एक्सपोजर की उच्चतम सीमाएं वर्तमान एक्सपोजर की उच्चतम सीमाओं की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से घटा दी जाएंगी। सम्बन्धित बैंकों के निदेशक मंडल उनके एकल और उसके साथ ही उधारकर्ताओं के समूहों के प्रति मौजूदा एक्सपोजरों के सम्बन्ध में उन एक्सपोजरों को 1 जनवरी, 2019 तक तथा अपवादात्मक मामलों में अधिकतम 1 अप्रैल, 2019 तक बड़े एक्सपोजर ढांचे के अनुपालन में लाने के उद्देश्य से कोई ऐसी सहज, रुकावट-रहित संक्रमण योजना तैयार कर सकते हैं, जो वर्तमान में प्रस्तावित बड़े एक्सपोजर की सीमा से अधिक हों।

बैंक घटते बॉण्ड प्रतिफलों के फलस्वरूप खज़ाना लाभ उठाएंगे

बैंकों द्वारा जनवरी-मार्च तिमाही में उनके लाभ मार्जिन को संरक्षित किए जाने की संभावना है, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक की दर में अचानक कटौती के बाद बॉण्डों के गिरते प्रतिफल के फलस्वरूप खजाना लाभ प्राप्त करने वाले हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुख्य नीतिगत अथवा न्यूनतम पुनर्खरीद दर, जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेते हैं, को एक चौथाई प्रतिशत बिंदु तक घटा कर 7.5% कर दिया है। भारतीय बॉण्डों में तीव्र गति से मज़बूती आई है। 10 वर्ष वाले बॉण्ड का न्यूनतम प्रतिफल 15 आधार अंक कम हो कर जुलाई 2013 से अपने न्यूनतम स्तर 7.61% पर पहुंच गया। आगे चल कर कुछ लाभार्जन से जुड़ कर कीमत बढ़ गई और वह 8.69% पर बंद हुआ। बैंक बाज़ार में कुछ चुनिंदा श्रेणियों के तहत बॉण्ड खरीदते और बेचते हैं। यदि वे उच्चतर प्रतिफल पर खरीदते हैं और उन्हें कमतर प्रतिफल पर बेचते हैं, तो वे लाभ कमाते हैं। इसप्रकार के लाभ की परिणति खजाने के लाभ में होती है।

गैर-बैंकिंग कम्पनियों और बैंकों को समान अवसर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए किसी उधारकर्ता द्वारा लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए भुगतान न किए जाने पर उसकी आस्तियों को अनर्जक के रूप में वर्गीकृत करने हेतु एक रूपरेखा तैयार की है। बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को अशोध्य ऋणों को वसूल करने हेतु सरफेयसी अधिनियम का आश्रय दिए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और बैंकों को समान अवसर दिए जाने की दिशा में एक कदम है। जहां बैंक आस्ति वर्गीकरण के लिए 90

दिनों वाले मानदंड का पालन करते हैं, वहीं विभिन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां किसी ऋण को अशोध्य ऋण के रूप में वगीकृत करने हेतु 90 दिनों और 180 दिनों के बीच वाले किसी भी मानदंड का पालन करती हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य

भारतीय रिज़र्व बैंक के एक आंतरिक पैनल ने यह सलाह दी है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए 40% का लक्ष्य विदेशी बैंकों सहित सभी बैंकों के लिए बनाए रखा जाना चाहिए। उक्त सिफारिशों में यह कहा गया है कि 20 और उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को मार्च, 2018 तक का समय दिया जाना चाहिए। उन्हें विनियामक को संशोधित कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को मार्च 2020 तक का समय दिया जाना चाहिए। विविध प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को वृद्धि एवं समानता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की निरंतर जरूरत है। अत: पुनर्परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने का लक्ष्य सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एकसमान रूप से समायोजित निवल बैंक वित्त (ANBC) के 40% अथवा तुलनपत्र-बाह्य एक्सपोजर के ऋण की समतुल्य रकम, इनमें से जो भी अधिक हो पर बनाए रखा जाना चाहिए।

ऋण वृद्धि जमाराशियों के जमावड़े से पिछड़ी

भारतीय रिज़र्व बैंक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार बैंक ऋण वृद्धि जमा के जमावड़े से निरंतर पीछे रही और वह 20 फरवरी, 2015 को समाप्त पखवाड़े में महज 10.39% की वृद्धि के साथ 64,,533.9 बिलियन रुपये पर मंद रही। रिपोर्टिंग वाले पखवाड़े में बैंक जमाराशियों में ऋण की मांग को पीछे छोड़ने का क्रम जारी रहा जो 11.85% बढ़कर 84,748.2 बिलियन तक पहुंच गई। पिछले पखवाड़े में बैंकों के ऋणों में 10.38% की वृद्धि हुई थी, जबकि जमाराशियों में 11.77% की वृद्धि दर्ज हुई थी। इस अवधि में बैंकों की मांग जमाराशियां 11.81% बढ़कर 77,057.5 बिलियन रुपये हो गईं।

विनियामकों के कथन

बैंकर - उधारकर्ता सम्बन्ध

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस.एस. मूंदड़ा का कहना है कि "उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करने और संवितरित करने में बैंकों को सामयिकता का पालन करना चाहिए और विशेषत: दबाव के समय हाथ थामने वाली सहायता प्रदान करनी चाहिए। बैंकरों को उधारकर्ता के व्यवसाय की संभावनाओं को समझने में समर्थ होना चाहिए तथा अनुमानों एवं मान्यताओं के बारे में उधारकर्ता के साथ तर्कपूर्ण रीति से बहस करने में समर्थ और इच्छुक होना चाहिए। ऋण का मूल्य-निर्धारण जोखिम पर आधारित, न्यायपूर्ण एवं पारदर्शी होना चाहिए। उधारकर्ताओं को आवश्यक रूप से अन्य क्षेत्रों में

विशाखन करने की बजाय उनके मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित रखना चाहिए। भारतीय कारपोरेट जगत द्वारा अतिशय उत्तोलन की ओर बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है। प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों का स्तर ऋणदाताओं के रूप में बैंकों के कार्य-निष्पादन की निगरानी में सुधार लाने की आवश्यकता और उधारकर्ताओं द्वारा ऋण प्रसंविदाओं का पालन किए जाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता

है। बैंक ऋण मूल्यांकन, जो अन्य पक्ष का मूलभूत कार्य है, के अपने उत्तरदायित्व को बाह्य स्रोत के उपयोग द्वारा नहीं पूरा करवा सकते। उधार देना बैंक के कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वह बाह्य स्रोत के उपयोग द्वारा नहीं किया जा सकता।"

ऋण अनुशासन शिक्षा क्षेत्र में अशोध्य ऋणों को घटाने में सहायक हो सकता है

31 मार्च, 2014 के दिन शिक्षा खण्ड में (4 लाख रुपये से कम ऋणों के मामले में) 7.54% से अधिक अशोध्य ऋण परिलक्षित हुए। स्पष्ट रूप से उधारकर्ता उनके पिछले ऋण रिकार्ड के सम्बन्ध में गैर-अदायगी के परिणामों के बारे में भुलक्कड़ हैं। भावी पीढ़ी के बीच एक ऋण संस्कृति विकसित करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय उत्पाद है शिक्षा ऋण। ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) -ट्रांसयूनियन साख आसूचना के सातवें वार्षिक सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी ने कहा कि उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और उनके ऋणों की समीकृत मासिक किस्तों और क्रेडिट कार्ड की देय राशियों का नियमित रूप से भुगतान करने के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। ऋण सूचना कम्पनियों (CICs) को इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इससे अच्छा ऋण अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता के प्रति उन्हें सुग्राही बनाने में विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं तक पहुंचने में सहायता प्राप्त होगी।

बीमा

संसद द्वारा पारित बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 की महत्वपूर्ण बातें

बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 का सीवन रहित विधि से स्थान लेगा। यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) को उसका कार्य और अधिक प्रभावी रीति एवं दक्षता से करने हेतु लचीलापन प्रदान करेगा। उक्त विधेयक की महत्वपूर्ण बातें निम्नानुसार हैं :

- उक्त विधेयक में भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रण के प्रति एहतियात के साथ किसी भारतीय बीमा कम्पनी में विदेशी निवेश की सीमा को 26% से 49% की सुस्पष्ट रूप से संमिश्र सीमा तक बढ़ाए जाने का प्रावधान है;
- उक्त विधेयक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के विनियामक पर्यवेक्षण में नये एवं नवोन्मेषी लिखतों के माध्यम से पूंजी जुटाने में समर्थ बनाएगा। वर्तमान में सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1942 (GIBNA, 1972) के अनुसार यथा-

अपेक्षित सार्वजनिक क्षेत्र की जिन चार सामान्य बीमा कम्पनियों को 100% सरकार द्वारा स्वाधिकृत होना है, को अब ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों में व्यवसाय का विस्तार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य के लिए शोधक्षमता मार्जिन को पूरा करते हुए

तथा वर्धित प्रतिस्पर्धात्मकता की प्राप्ति हेतु सरकारी इक्विटी के किसी भी समय पर 51% से कम न होने देने की शर्त पर पूंजी जुटाने की अनुमति है;

- संशोधित विधि में एजेन्टों / बीमा कम्पनियों द्वारा गलत बिक्री और मिथ्या निरूपण सहित विविध उल्लंघनों के लिए 1 करोड़ रुपये से लेकर 25 करोड़ रुपये तक के उच्चतर जुरमाने वसूल किए जाने हेतु कतिपय प्रावधान हैं;
- उक्त अधिनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को बीमाकर्ताओं के लिए बीमा एजेन्ट नियुक्त करने का उत्तरदायित्व सौंपता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण उनकी पात्रता, अर्हताओं एवं अन्य पहलुओं का विनियमन करेगा। यह एजेन्टों को विविध व्यवसाय श्रेणियों वाली सभी कम्पनियों में अधिक व्यापक रूप से कार्य करने में समर्थ बनाएगा;
- भारत में स्थित सम्पत्तियां किसी विदेशी बीमाकर्ता के पास भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति से बीमित कराई जा सकती हैं;
- संशोधित विधि विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को भारत में शाखाएं खोलने में समर्थ बनाता है और "पुनर्बीमा" को "एक बीमाकर्ता के जोखिम के भाग का अन्य ऐसे बीमाकर्ता द्वारा बीमा जो जोखिम को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य प्रीमियम के लिए स्वीकार करता है" के अर्थ में परिभाषित करता है। यह उसके द्वारा जोखिम की पुनर्बीमाकर्ता को 100% वरीयता की संभावना को छोड़ देता है, जिससे कम्पनियां अन्य बीमाकर्ताओं के लिए फ्रंट कम्पनियों के रूप में कार्य करने लगती हैं;
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलें प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (SAT) के समक्ष दायर की जा सकती है, क्योंकि संशोधित विधि में यह प्रावधान है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई बीमाकर्ता या बीमा मध्यवर्ती प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण के पास अपील दायर कर सकता है।

इर्डाई ने बीमा विपणन फर्मों के लिए मानदंड जारी किया

उद्यमशील बीमा एजेन्ट और उद्यमी शीघ्र ही स्वयं अपनी बीमा वितरण कम्पनी आरंभ कर सकते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा विपणन फर्मों के सम्बन्ध में अपने अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिया है, जो बीमा उत्पादों के लिए एक नयी वितरण श्रेणी होगी। 10 लाख रुपये की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के साथ विनियमों के तहत पंजीकृत किसी बीमा विपणन फर्म को दो

जीवन, दो सामान्य और केवल दो स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों के उत्पाद अधियाचित एवं प्राप्त करने की अनुमति होगी। पंजीकरण की प्रारंभिक मंजूरी (जो दो वर्ष तक वैध होगी) देते समय बीमा विपणन फर्म को अपनी पसंद के केवल एक जिले में कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। वे नवीकरण के समय अधिक क्षेत्रों के लिए आवेदन कर सकती हैं।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां हमेशा के उच्च स्तर पर जा पहुंचीं

भारतीय रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 20 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में 339.99 बिलियन अमरीकी डालर के हमेशा के उच्चे स्तर पर पहुंच गईं। प्रारक्षित निधियों में हुई वृद्धि 4.26 बिलियन अमरीकी डालर थी। इस वर्ष में यह सातवां अवसर है जब प्रारक्षित निधियां अब तक सर्वोच्च स्तर पर पहुंची हैं। प्रारक्षित निधियों की एक मुख्य संघटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 4.54 बिलियन अमरीकी डालर बढ़कर 314.89 बिलियन अमरीकी डालर हो गईं। प्रारक्षित निधियों में वृद्धि इसलिए हो रही हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार द्वारा संचालित बैंकों के माध्यम से डालर प्रवाह की खरीद रहा है। समक्षाधीन सप्ताह के दौरान सोने का प्रारक्षित भण्डार 19.84 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर अपरिवर्तित रहा।

विदेशी मुद्रा लेनदेन के नये रूपांतर वाले प्लेटफार्म 6 अप्रैल, 2015 से

आदेश मिलान मोड में निर्णीत व्यापार के दृष्टिकोण से एक प्रतिपक्ष के रूप में भारतीय समाशोधन गृह (CCIL) के सहयोग के साथ विदेशी मुद्रा के नये रूपांतर- एफएक्स क्लियर और एफएक्स स्वैप प्लेटफार्म 6 अप्रैल, 2015 से कार्यरत हो जाएगा। यह डालर /रुपया निपटान खण्ड में भुगतान बनाम भुगतान के अनुरूप होगा। यह सदस्यों को विविध प्रतिपक्षियों के साथ किसी द्विपक्षीय सीमा के बिना क्रय-विक्रय / लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करेगा।

आयात ऋणों, बाह्य वाणिज्यिक उधारों से सम्बन्धित सीमाएं बढ़ीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च, 2015 तक भारत में आयात हेतु व्यापार ऋणों तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) की की समग्र अन्तर्निहित लागत की उच्चतम सीमा बढ़ाने का निर्णय किया है। व्यापार ऋणं के मामले में समग्र अन्तर्निहित लागत की उच्चतम सीमा सभी परिपक्वता अवधियों में 6 माह की लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) से 350 आधार अंक अधिक है। तीन वर्ष और पांच वर्ष तक की औसत परिपक्वता के अधीन बाह्य वाणिज्यिक उधारों के मामले में समग्र अन्तर्निहित लागत की उच्चतम सीमा 6 माह की लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) से 350 आधार अंक अधिक तथा पांच वर्ष से अधिक वाली अवधि के मामले में यह 6 माह की लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) से 500 आधार अंक अधिक है।

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	27 मार्च, 2015 के दिन	27 मार्च, 2015` के दिन
	बिलियन रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	**2**
कुल प्रारक्षित निधियां	21, 349.1	341,,378.1
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	19, 791.3	316,,238.3
ख) सोना	1, 225, 7	19, 837. 0
ग) विशेष आहरण अधिकार	250,8	4, 004.8
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	81.3	1, 298 .0

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

अप्रैल, 2015 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.48000	0.82100	1.12900	1.37500	1.55900
जीबीपी	0.61990	0.8983.	1.0633	1.2159	1.3410
यूरो	0.10600	0.089	0.139	0.199	0.268
जापानी येन	0.16250	0.180	0.196	0.236	0.290
कनाडाई डालर	1.02000	0.872	0.962	1.167	1.183
आस्ट्रेलियाई डालर	1.97600	1.958	2.027	2.2 28	2.333
स्विस फ्रैंक	-0.72000	-0.640	-0.550	-0.410	-0.270
डैनिश क्रोन	0.09000	0.1840	0.2502	0.3740	0.4680
न्यूजीलैंड डालर	3.57750	3.558	3.585	3.600	3.663
स्वीडिश क्रोन	-0.10200	-0.370	0.098	0.257	0.420
सिंगापुर डालर	1.28000	1.550	1.780	1.950	2.075
हांगकांग डालर	0.58000	0.900	1.180	1.380	1.520
म्यामार	3.64000	3.640	3.680	3.750	3.810

स्रोत : www.fedai.org.in.

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
डॉ. क्षत्रपति शिवाजी	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
श्री रवींद्र प्रभाकर मराठे	कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया
श्री के. वेंकट रामा मूर्ति	कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा
श्री बी.हरिदीश कुमार	कार्यपालक निदेशक, केनरा बैंक
श्री किशोर खरात	कार्यपालक निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
श्री एन. के. साहू	कार्यपालक निदेशक, इलाहाबाद बैंक
श्री रवि शंकर पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक, सिंडिकेट बैंक
श्री आर. सी लोढ़ा	कार्यपालक निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
श्री पवन कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक
श्री □रण सिंह	कार्यपालक निदेशक, यूको बैंक
श्री अजित कुमार रथ	कार्यपालक निदेशक, आंध्रा बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
एचडीएफसी बैंक	मॉबमे	प्रयोक्ताओं को उनकी फोनबुक में किसी भी संपर्क को चिलिर मोबाइल ऐप के जरिये तुरत धन अंतरित करने की सुविधा प्रदान करने हेतु।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय भुगतान निगम	भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC)	रूपे पूर्व-प्रदत्त कार्ड का उपयोग करते हुए यात्रियों द्वारा टिकट बुक करने, खरीदारी करने और सेवा बिलों का भुगतान किए जाने हेतु।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	अनि टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि. (ओला कैब्स)	उसके चालकों में पारिस्थितिकी प्रणाली बढ़ाने और उसके टैक्सी नेटवर्क में बढ़ते संन्निघर्षण को नियंत्रित करने हेतु एक मुहिम में चालकों को कार ऋण प्रदान करना।
पंजाब नैशनल बैंक	लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ	कृषक निर्माता कम्पनियों को संपार्श्विक रहित ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु।
ऐक्सिस बैंक	मास्टर कार्ड और वनाया नेटवर्क	व्यवसाय से व्यवसाय तक भुगतानों के लिए. डिजिटल बीजक निर्माण समाधान प्रदान करने हेतु।
येस बैंक लिमिटेड	संयुक्त अरब अमीरात शेयर बाज़ार	भारत में किसी भी बैंक को तत्काल धन अंतरण उपलब्ध कराने हेतु।

बासेल-III पूंजी विनियमन (□ारी)

बासेल-III पूंजी विनियमन पर चर्चा को जारी रखते हुए हम निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहे हैं :

14

उत्तोलन अनुपात का ढांचा

बासेल III दस्तावेज़ में उत्तोलन अनुपात के प्रावधानों का उद्दिष्ट है समांतर परिचालन (run) की स्थितियों के दौरान उत्तोलन अनुपात की जांच करने हेतु एक आधार के रूप में काम आना। बासेल समिति 1 जनवरी, 2013 से 1 जनवरी, 2017 तक की समांतर परिचालन (run) अवधि के दौरान 3% के न्यूनतम टियर 1 उत्तोलन अनुपात की जांच करेगी। उत्तोलन अनुपात को जोखिम-भारित पूंजी आवश्यकताओं के एक विश्वसनीय अनुपूरक उपाय के रूप में अंशांकित किया जाता है। उत्तोलन अनुपात ढांचे का मुख्य उद्देश्य है:

क) बैंकिंग क्षेत्र में उत्तोलन के जमावड़े को रोकना, उन अनुत्तोलनकारी प्रक्रियाओं को हटाने में सहायता करना जो वित्तीय प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था को व्यापक क्षति पहुंचा सकती हैं; और

ख) जोखिम -आधारित आवश्यकताओं को साधारण, गैर-जोखिम-आधारित"बैकस्टॉप" उपाय के साथ मज़बूत बनाना।

समांतर परिचालन की अवधि के दौरान बैंकों को उनके उत्तोलन अनुपात के मौजूदा स्तर को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, किन्तु किसी भी स्थिति में उत्तोलन अनुपात 4.5% से कम नहीं होना चाहिए। जिसका उत्तोलन अनुपात 4.5% से कम हो, उस बैंक को उसे यथाशीघ्र 4.5% से अधिक के स्तर पर वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। उत्तोलन अनुपात की अंतिम आवश्यकता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समांतर परिचालन के बासेल समिति द्वारा दिए गए निर्धारणों को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित की जाएगी।

उत्तोलन अनुपात तिमाही आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए। प्रत्येक तिमाही के अंत में गणना का आधार है भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र में यथा-वर्णित क्रमश: पूंजी की परिभाषाओं (अर्थात् पूंजी माप) और कुल एक्सपोजर (अर्थात् एक्सपोजर माप) के आधार पर "तिमाही की तुलना में मासांत के उत्तोलन अनुपात का औसत।"

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

पूंजी निधियां

स्वामियों का इक्विटी में अंशदान। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का मूल दृष्टिकोण यह है कि किसी बैंक के पास उसके व्यवसाय में निहित जोखिमों से पैदा होने वाली हानियों को अवशोषित करने हेतु एक स्थिर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। पूंजी को प्रत्येक अर्हक लिखत की

विशेषताओं / लक्षणों के अनुसार विभिन्न स्तरों (टियरों) में विभाजित किया जाता है। पर्यवेक्षी उद्देश्यों के लिए पूंजी को दो श्रेणियों में बांटा जाता है : टियर I और टियर II.

शब्दावली

15

नियर फील्ड सं□ार (NFC)

नियर फील्ड स□ार विचारों और प्रौद्योगिकी का एक ऐसा समुच्चय होता है जो स्मार्ट फोनों एवं उपकरणों को या तो उन्हें एक साथ स्पर्श करके या फिर विशिष्ट रूप से 10 सेंटीमीटर (3.9 इंच) या उससे कम की दूरी जितने समीप लाकर एक-दूसरे से रेडियो सं□ार स्थापित करने में समर्थ बनाता है। प्रत्येक पूर्ण नियर फील्ड सं□ार उपकरण तीन मोडों में कार्य करता है : एनएफसी लक्ष्य (किसी प्रत्यायक की भांति कार्य करने वाला), एनएफसी प्रस्तावक (एक पाठक के रूप में कार्य करने वाला) और एनएफसी (समकक्ष से समकक्ष तक)।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अप्रैल, 2015 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	स्थल
1	प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	15 से 17 अप्रैल, 15 15 से 16 अप्रैल, 15	शिमला बेंगलूर
2	प्रमाणित ऋण अधिकारियों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	20 से 24 अप्रैल, 2015 20 से 24 अप्रैल, 2015 20 से 24 अप्रैल, 2015 20 से 24 अप्रैल, 2015 27 अप्रैल से 1 मई, 15	बेंगलूर हैदराबाद चेन्नै मुंबई नयी दिल्ली
3	बैंकों में वसूली प्रबन्धन पर कार्यक्रम	22 से 24 अप्रैल, 15	नयी दिल्ली

संस्थान समाचार

कारबार संपर्कियों / कारबार सुसाधकों (प्रधान मंत्री जन-धन योजना) के लिए प्रमाणपत्र परीक्षा

संस्थान ने हाल ही में प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत कारबार संपर्कियों / कारबार सुशाधकों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। संस्थान ने "इनक्लूसिव बैंकिंग थ्रू बिजिनेस करेस्पॉंडेंट - ए टूल फॉर पीएमजेडीवाई" शीर्षक से एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।)

वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर प्रमाणपत्र परीक्षा

संस्थान ने चार्टर्ड इंस्टिट्यूट फॉर सिक्योरिटीज एण्ड इन्वेस्टमेंट (CISI) के सहयोग से वित्तीय सेवाओं में जोखिम में एक नयी प्रमाणपत्र परीक्षा की शुरुआत की है। (अधिक जानकारी के लिए

www.iibf.org.in देखें।)

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्दिष्ट तिथि

प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी कैलेण्डर वर्ष के मई / जून के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही पर ही विचार किया जाएगा। प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी कैलेण्डर वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल 30 जून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

मई / जून 2015 परीक्षाओं से अद्यतन पाठ्यक्रम की शुरुआत

जेएआईआईबी और बैंकिंग एवं फाइनैंस (DB&F) में डिप्लोमा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को उन परिवर्तनों के कारण अद्यतन कर दिया गया है जो बैंकिंग एवं फाइनैंस के क्षेत्र में हुए हैं। जेएआईआईबी और बैंकिंग एवं फाइनैंस में डिप्लोमा परीक्षाओं के लिए उक्त पाठ्यक्रम मई / जून और उसके बाद वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा। अद्यतन पाठ्य-समग्री (अध्ययन सामग्री) जनवरी, 2015 के अंत तक बाज़ार में उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

जेएआईआईबी और ड़ीबीएण्डएफ के अद्यतन पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकों की उपलब्धता

जेएआईआईबी और ड़ीबीएण्डएफ की अद्यतन पाठ्य-सामग्री अब मैकमिलन पब्लिशर्स (अंग्रेजी) और टैक्समैन पब्लिशर्स (हिन्दीं) के बिक्री केन्द्रों में उपलब्ध है।

मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए आचरण संहिता

संस्थान ने हाल ही में आरंभ किए गए मिश्रित पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को आचरण संहिता जारी करना आरंभ कर दिया है और उन्हें उसका पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया □ता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपनी वेब साइट पर डाल रखी है। ये परीक्षा

के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 /1998 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15
* प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * प्रेषण तिथि प्रत्येक माह की 25 से 30 तक

विजन डाक्यूमेंट की हार्ड प्रतियों का प्रेषण

संस्थान उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करता है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास 30 जून, 2015 से पहले पंजीकृत करवा लें। जुलाई, 2015 से संस्थान विजन डाक्यूमेंट की हार्ड प्रतियां उन सदस्यों को भेजना बंद कर देगा, जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी नहीं पंजीकृत करवाए हैं। केवल सॉफ्ट प्रतियां ही ई-मेल के जरिये भेजी जाएंगी। वर्तमान में आईआईबीएफ विज़न डाक्यूमेंट मुफ्त डाउनलोड करने / देखने हेतु संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

7.90
7.70
7.50
7.30
7.10
6.90

6.70
6.50
02/03/15 04/03/15 07/03/15 09/03/15 16/03/15 18/03/15 20/03/15 23/03/15
26/03/15 27/03/15

18

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

100.00
95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00

02/03/15 05/03/15 11/03/15 12/03/15 16/03/15 19/03/15 23/03/14 24/03/15
26/03/15 31/03/15

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

30000
29500
29000
28500
28000
27500
27000

26500
26000
02/03/15 03/03/15 04/03/15 11/03/15 12/03/15 16/03/15 17/03/15 25/03/15 27/03/15 30/03/15

\+ 19

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II,, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. जे. एन. मिश्र

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न अप्रैल, 2015